

<><><><><><><><>

- पिछले 11 वर्षों में, सरकार की प्रमुख योजनाओं के चलते पूर्वोत्तर दुनिया के सामने अपनी पहचान को गर्व से प्रदर्शित कर रहा है।
- क्यारी की ओर से मिनिर्कोय में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर कार्यक्रम आयोजित।
- भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने कहा —उनका बलिदान और समर्पण देश के लोगों को प्रेरित करता रहेगा।
- समाज कल्याण निदेशालय की ओर से महिलाओं के लिए कानूनी सहायता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

<><><><><><><><>

पिछले 11 वर्षों में, सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे के माध्यम से, बल्कि लोगों के माध्यम से पूर्वोत्तर में निवेश किया है। पीएम-देवाइन, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसी प्रमुख योजनाओं ने जमीनी स्तर पर प्रगति को गति दी है। वन धन योजना के माध्यम से तीन लाख से अधिक आदिवासी संग्रहकर्ताओं को सहायता प्रदान की गई है। 434 किसान उत्पादक कंपनियों ने संगठित कृषि व्यवसाय को समर्थन देकर दो लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। यह क्षेत्र जैविक उत्पादन, खाद्य तेल और बांस, अगरवुड और एरी सिल्क जैसे पारंपरिक उत्पादों के लिए एक केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। NEHHDC और NERAMAC ने बाजार तक पहुंच का विस्तार किया है, जिसमें स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को डिजाइन सहायता, ब्रांडिंग और राष्ट्रीय मंचों से लाभ मिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में, संकेतक लगातार बेहतर हो रहे हैं। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, और मिजोरम को ULLAS मिशन के तहत पूरी तरह से साक्षर घोषित किया गया है। जबकि असम में 15 अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क होगा। और सांस्कृतिक उत्सवों, संग्रहालय परियोजनाओं और असम के मोइदम के लिए यूनेस्को टैग जैसी वैश्विक मान्यता के माध्यम से, पूर्वोत्तर दुनिया के सामने अपनी पहचान को गर्व से प्रदर्शित कर रहा है।

<><><><><><><><>

केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय केन्द्र ने कृषि विज्ञान केन्द्र, कवारत्ती के सहयोग से मिनिर्कोय के किसानों के कल्याण के लिए हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बोलते हुए मिनिर्कोय केन्द्र के प्रभारी डॉ. रलैडस्टन वाई ने अभियान के बारे में जानकारी दी और स्टेशन की विभिन्न गतिविधियों और प्रौद्योगिकियों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। वैज्ञानिक डॉ. अजिना एस.एम. ने किसानों को मानसून के दौरान मत्स्य पालन के साथ-साथ मछली उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने के वैकल्पिक विकल्पों पर सलाह दी।

<><><><><><><><>

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व —ईपीआर उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या पर्यावरण की दृष्टि से उचित निपटान विधियों के माध्यम से अपने प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे का उचित प्रसंस्करण सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। ईपीआर कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में चौथे संशोधन के माध्यम से 'प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ई पी आर पर दिशानिर्देश' पेश किए। इसके तहत सी पी सी बी के साथ दो से अधिक राज्यों में संचालित उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। नवीनतम संशोधन के अनुसार, प्लास्टिक उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसा न करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पंजीकरण के लिए एसओपी को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

